Dr. Bhim Rao Ambedkar: Social Thought:

14 अक्टूबर 1891 को डॉ. अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उनके बचपन के साथ जुड़ा भेदभाव तथा बदलते आकांक्षाओं के लिए वातावरण इतिहास के दो ऐसे हिस्से हैं जिनमें डॉ. अम्बेडकर पले-बढ़े। स्व जीवन के जुड़ी इतिहास काल की कई घटनायें जिसे वे अपनी स्मृति पटल पर सजोये हुए थे। उसके कारण 1923 तक पी.एच-डी और डी. एस.सी. उपाधि प्राप्त करके भारत लौटने के बाद उनमें व्यक्ति भावना की दिशा बदली। अछूतों और दलितों की तरफ से संघर्ष का नेतृत्व किया। 1932 में गांधी के साथ पूना पैक्ट के कारण पहली बार अछूतों और दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने में सफलता मिली। 26 सितम्बर 1932 के दिन पूना पैक्ट पं. मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में डॉ. अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ। गोलमेज सम्मेलन में (12 नवम्बर 1930) में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक - प्रत्येक व्यक्ति को एक मूल्य के आदर्श की उपलब्धि ही अस्पृश्य वर्ग का लक्ष्य है।" डॉ. अम्बेडकर के चिंतन में ऐसी वैचारिकी थी जिससे उनके महनीय प्रयासों से देश के संविधान निर्माता का दायित्व मिला। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। डॉ. अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फलतः स्वभाविक है कि देश के गणतांत्रिक ढाँचे में समाज के विषम ढाँचे के तनाव को कम करने में उनका मार्गदर्शन मिला। समाज के हाशिये पर खड़ा समाज भी मुख्यधारा में आ सके इसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया।

महान व्यक्ति समाज सेवा के लिए होता है तथा अम्बेडकर उसके प्रतीक पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। वे समता तथा बंधुत्व के उपासक तथा मन की स्वतंत्रता के स्थान पर वास्तविक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे मानते थे कि देश का राजनीतिक गणतंत्र तबतक सुदृढ़ नहीं होगा जबतक देश में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों में असमानता बनी रहेगी। ऐसी व्यवस्था को वे अन्याय और शोषण से ग्रसित राजनीतिक गणतंत्र मानते थे। अन्याय युक्त व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण-व्यवस्था तथा वर्ण-व्यवस्था से जनित जाति प्रथा का समाजिक व्यवस्था की राह का पथ अवैज्ञानिक था।

भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 16 का उल्लेख किया गया है। जिसके माध्यम से समाज में समानता की बात कही गयी। कोई ऊँच-नीच की बात नही होगी सभी समान हैं। समाज के वंचित और ~~शोषित~~ शोषितों की वकालत डॉ. अम्बेडकर के भारतीय संविधान में स्पष्ट दिखता है। भारतीय संविधान डॉ. अम्बेडकर के चिंतन दर्शन की स्पष्ट झलक है। अर्थ हर व्यक्ति की आवश्यकता है। अर्थ का अभाव ~~व्यक्ति~~ का प्रभाव और समाज में असमानता को जन्म देता है।

आरम्भ का सामंतवाद और बाद का पूँजीवाद ने व्यक्ति को अलग-अलग कतार में खड़ा कर दिया। आर्थिक विद्वेषण के उन्मूलन के लिए डॉ. अम्बेडकर औद्योगिकरण के पक्षधर थे। राज्य की कल्याणकारी भूमिका का उन्होंने प्रतिपादन किया तथा इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी लोकतंत्र में आस्था की अलख जगाया। भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। जिन्हें धीरे-धीरे राज्य क्रियान्वित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38(1) तथा 38(2) में राज्य के कल्याणकारी (लोक कल्याण की अभिवृद्धि) के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। अनु॰ 38 (2) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 39(क) में समान न्याय और विधिक (निः शुल्क) सहायता करेगा।

वे महान आशावादी थे। भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवेदना पर अपना संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने अपना मन्तव्य दिया। 17 दिसम्बर 1946 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवेदना पर बल मिला। अम्बेडकर के चिन्तन से स्वतंत्रता, व्यक्ति की आकांक्षा के रुप में और समानता आर्थिक माँग के कारण शोषित समाज और शोषक समाज तथा निर्धन और समृद्ध के आधार में पूँजी की भूमिका बदल रही है।